रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 750] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1997/पौष 10, 1919
No. 750] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1997/PAUSA 10, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 32/1997—2002

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1997

का. आ. 928 (अ).—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड -3, उप-खण्ड (ii) में का. आ. सं. 283 (अ) दिनांक 31-3-97 के तहत प्रकाशित निर्यात आयात नीति, 1997—2002 के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात आयात नीति, 1997—2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

1. पैरा 11.12 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

   ''ऐसा विशेष आयात लाइसेंस केवल तभी जारी किया जाएगा यदि निर्यात आय मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुई हो।''

2. पैरा 12.3 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

   ''मान्यता के प्रयोजन से मुक्त विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपए दोनों में किए गए निर्यात को हिसाब में लिया जाएगा।''

   इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. पी. आर. यू./ए. एस./96097/एस. आई. एल.]

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 32/1997—2002

New Delhi, the 31st December, 1997

S.O. 928 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.3 of the Export and Import Policy, 1997—2002 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. No. 283 (E) dated 31-3-97, the Central Government hereby makes following amendments in the Export and Import Policy, 1997—2002 :

1. The following shall be added at the end of paragraph 11.12 :

   "Such Special Import Licence shall be granted only where export proceeds have been realised in free foreign exchange."

2. The following shall be added at the end of paragraph 12.3 :

   "The exports made, both in free foreign exchange and in indian rupees, shall be taken into account for the purpose of recognition."

This issues in public interest.

[F. No. PRU/AS/96097/SIL]

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foriegn Trade

and Ex-Officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997